



जम्मू-कश्मीर की अनुसूचित जनजात सूची में समुदायों का समावेशन

प्रलिस के लिये:

भारत का रजिस्ट्रार जनरल, अनुसूचित जनजात, अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात (अत्याचार नवारण) अधिनियम, 1989 के लिये राष्ट्रीय आयोग, पंचायत उपबंध (अनुसूचित कषेत्रों तक वसितार) अधिनियम (PESA), 1996, अनुसूचित जनजात एवं अन्य पारंपरिक वन नवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, एकलव्य मॉडल आवासीय वदियालय (EMRS), प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (PMAGY)

मेन्स के लिये:

ST सूची में शामिल करने की प्रक्रिया और मानदंड, भारत में अनुसूचित जनजातियों की स्थिति

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार ने संवधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजात आदेश (संशोधन) वधियक, 2023 पेश किया है, जिसका लक्ष्य जम्मू-कश्मीर में अनुसूचित जनजात (Scheduled Tribes- ST) सूची में चार समुदायों को शामिल करना है।

- "गड्डा ब्राह्मण (Gadda Brahmin)," "कोली (Koli)," "पददारी जनजात (Paddari Tribe)," और "पहाड़ी जातीय समूह (Pahari Ethnic Group)" को शामिल करने के प्रस्तावित प्रस्ताव ने आरक्षण लाभों के वितरण के संबंध में आशंकाएँ उत्पन्न कर दी हैं।

ST सूची में शामिल करने की प्रक्रिया और मानदंड:

- अनुसूचित सूची में शामिल करने के लिये मानदंड: यह निर्धारित करना कि कोई समुदाय अनुसूचित जनजात सूची में शामिल किये जाने के योग्य है या नहीं, कई मानदंडों पर आधारित है, जिनमें शामिल हैं:
 - नृजातीयता संबंधी लक्षण (Ethnographic Features): इस समुदाय के वशिष्ट और पहचाने जाने योग्य नृजातीयता संबंधी लक्षणों को इसकी जनजातीय पहचान स्थापित करने के लिये माना जाता है।
 - पारंपरिक वशिष्टताएँ: जनजातीय संस्कृति के प्रतिसमुदाय की प्रतबिद्धता का आकलन करने के लिये पारंपरिक प्रथाओं, रीति-रिवाजों और जीवनशैली की जाँच की जाती है।
 - वशिष्ट संस्कृति: एक अनोखी और वशिष्ट संस्कृति की उपस्थिति जो समुदाय को अन्य समूहों से अलग करती है।
 - भौगोलिक अलगाव: वशिष्ट कषेत्रों में इसकी ऐतिहासिक और नरितर उपस्थिति का आकलन करने के लिये समुदाय के भौगोलिक अलगाव को ध्यान में रखा जाता है।
 - पछिड़ापन: समुदाय को होने वाले नुकसान के स्तर का मूल्यांकन करने के लिये सामाजिक-आर्थिक पछिड़ेपन पर वचार किया जाता है।
 - हालाँकि भारतीय संवधान ST की मान्यता के मानदंड को परभाषित नहीं करता है।
- किसी समुदाय को ST सूची में जोड़ने की प्रक्रिया:
 - यह प्रक्रिया राज्य या केंद्रशासित प्रदेश स्तर पर शुरू होती है, जहाँ संबंधित सरकार या प्रशासन एक वशिष्ट समुदाय को शामिल करने की सफिराश करता है।
 - प्रस्ताव को परीक्षण और आगे के वचार-वमिर्श के लिये केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय को भेजा जाता है।
 - इसके बाद जनजातीय कार्य मंत्रालय अपने वचार-वमिर्श से प्रस्ताव की जाँच करता है और इसे भारत का महापंजीयक (Registrar General of India) को भेजता है।
 - एक बार RG1 द्वारा अनुमोदित होने के बाद प्रस्ताव राष्ट्रीय अनुसूचित जनजात आयोग को भेजा जाता है जिसके बाद प्रस्ताव केंद्र सरकार को वापस भेजा जाता है।
 - किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजात सूची में शामिल करना तभी प्रभावी होता है जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति संवधान (अनुसूचित जनजात) आदेश, 1950 [Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950] में संशोधन करने वाले वधियक को मंजूरी दे देता है।

भारत में अनुसूचित जनजातियों की स्थिति:

■ संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 366(25): यह केवल अनुसूचित जनजातियों को परभाषित करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित करता है:
 - इसमें अनुसूचित जनजातियों को "ऐसी आदवासी जात या आदवासी समुदाय या इन आदवासी जातियों और समुदायों के भाग या समूह के रूप में परभाषित किया गया है, जिन्हें संविधान के उद्देश्यों के लिये अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियाँ माना गया है"।
- अनुच्छेद 342(1): राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में वहाँ के **राज्यपाल** से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा उन जनजातियों या जनजातीय समुदायों अथवा जनजातियों या जनजातीय समुदायों के भागों अथवा उनके समूहों को वनिरिदष्टि कर सकेगा।
- **पाँचवीं अनुसूची**: यह छठी अनुसूची में शामिल राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण हेतु प्रावधान निर्धारित करती है।
- **छठी अनुसूची**: यह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मज़ोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है।

■ वैधानिक प्रावधान:

- **अस्पृश्यता के विरुद्ध नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955**
- **अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989**
- **पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक वसितार) अधिनियम (PESA), 1996**
- **अनुसूचित जनजात और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006।**

■ संबंधित सरकारी पहलें:

- **एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय**
- **प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना**
- प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन
- विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों का विकास

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये: (2013)

जनजाति	राज्य
1. लम्बू	सकिकमि
2. कार्बी	हिमाचल प्रदेश
3. डोंगरिया कोंध	ओडिशा
4. बोंडा	तमलिनाडु

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-से सही सुमेलित हैं?

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 2 और 4
- (c) केवल 1, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (a)

प्रश्न. भारत के संविधान में पाँचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से कसिके लिये किये गए हैं?(2015)

- (a) अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिये
- (b) राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिये
- (c) पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और ज़िम्मेदारियों का निर्धारण करने के लिये
- (d) सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिये

उत्तर: (a)

??????????:

प्रश्न. स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जनजातियों (एस.टी.) के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिये राज्य द्वारा की गई दो प्रमुख वधिक पहलें क्या

हैं? (2017)

प्रश्न. क्या कारण है कि भारत में जनजातियों को 'अनुसूचित जनजातियाँ' कहा जाता है? भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित उनके उत्थान के लिये प्रमुख प्रावधानों को सूचित कीजिये। (2016)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/inclusion-of-communities-in-jammu-and-kashmir-s-scheduled-tribes-list>

